

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी परिसर,
सीतापुर रोड, लखनऊ ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या : उ०प्र०प्रा०वि०/क०/प०का०/२००१/६२५५-५) दिनांक ०८.०७.२००१ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, २००० की धारा-२३(२) के अधीन एकेडेमी ऑफ बिजनेस एण्ड इंजीनियरिंग साइंसेज, गाजियबाद को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग (२) इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी (३) इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (प्रत्येक में साठ सीट) का अवाधि विस्तारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंटेशन (तांस साट) पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२००१ से आगामी तीन वर्षों तक की अवाधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

१. संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का प्रवेश, फीस आदि शासनादेश : १९६०/सत्तर-२-९७(८५)/९७, दिनांक ११.११.९७ के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारण के आधार पर लिये जायेगा । विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय को व्यवसायिक आधार पर संचालित नहीं किया जायेगा ।
२. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थाई सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी ।
३. संस्था निरीक्षण मण्डल में शृंगित कमियों को उपरोक्त अवाधि में पूर्ण कर लेगी ।

भवदीय,

(रकेश कुमार ओझा)
महामहिम कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, १८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद ।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।
४. प्रबन्धक/प्राचार्य, एकेडेमी ऑफ बिजनेस एण्ड इंजीनियरिंग साइंसेज, गाजियबाद ।
५. निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्दिरागंधी खेल परिसर, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
६. कम्प्यूटर सेल, राजभवन, लखनऊ ।

(रकेश कुमार ओझा)
महामहिम कुलाधिपति के विशेष सचिव

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-227132

संख्या : ई.स. 1734 /जी०एस
दिनांक : 21 सितम्बर, 2001

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,
इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी,
सीतापुर रोड,
लखनऊ ।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या- ई.स./1086/जी.एस., दिनांक 19 जुलाई, 2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एकेडमी आफ बिजनेस एण्ड इंजीनियरिंग सांइसेज, गाजियाबाद को इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इस्ट्रुमेन्टेशन पाठ्यक्रम में तीस सीटों की क्षमता पर अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी थी।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एकेडमी आफ बिजनेस एण्ड इंजीनियरिंग सांइसेज, गाजियाबाद को इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इस्ट्रुमेन्टेशन पाठ्यक्रम की क्षमता 30 सीट के स्थान पर 60 किये जाने हेतु महामहिम कुलाधिपति महोदय ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। उपरोक्त कार्यालय आदेश संख्या-ई.स./1086/जी.एस., दिनांक 19.7.2001 में अंकित शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

भवदीय

(राकेश कुमार ओझा)
महामहिम कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 30 प्र०, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग लखनऊ।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, 30 प्र० कानपुर।
4. निदेशक, एकेडमी आफ बिजनेस एण्ड इंजीनियरिंग सांइसेज, गाजियाबाद
5. निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्दिरागांधी खेल परिसर, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
6. कम्प्यूटर सेल, राजभवन, लखनऊ।

(राकेश कुमार ओझा)
महामहिम कुलाधिपति के विशेष सचिव